न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 51 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. रहमानखां पुत्र सतारखां
2. इस्लामखां पुत्र सतार खां
   जातियान मुसलमान निवासी
   गरडिया, तहसील रामसर
   जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सोबदार पुत्र मीरां
2.बिलाल पुत्र मीरां
3.सतार पुत्र मीरां
4.अमीन पुत्र शरीफ
5.शकुर पुत्र शरीफ
6.मठार पुत्र अमीन
7.अकबर पुत्र शकुर
8.कमाल पुत्र सुमार
9.इकराम पुत्र जीमाल
10.हबीब पुत्र शरीफ जातियान मुसलमान निवासीयान फकीरों की ढाणी, गरडिया तहसील रामसर, जिला बाड़मेर।
11.श्रीमान् तहसीलदार रामसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर द्वारा मूल राजस्व वाद संख्या 10 / 2020 बअनवान रहमानखां वगै. बनाम सोबदार वगै. में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से उप.।
2. वकील श्री लाधूराम पूनिया रेस्पोडेंट की ओर से उप.।

निर्णय

दिनांकः— 11.11.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 01 व 02 दोनों सगे भाई है तथा अपनी पैतृक, कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि मौजा गरडिया तहसील रामसर जिला बाड़मेर में स्थित है जिसके खेत खसरा संख्या 611 / 164 रकबा 13.07 बीघा व खसरा संख्या 616 / 273 रकबा 06.17 बीघा भूमि किस्म बारानी दोयम की स्थित है, जिस पर अपीलांट का पैतृक रूप से कब्जा व काश्त एवं रहवास करते आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वाद को बिना सुने तथा वाद पत्र का अवलोकन किये बिना ही विधि एवं तथ्यों की अन्देखी करते हुए पत्रावली पर आये दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट संख्या 01 व 02 दोनों सगे भाई है तथा अपनी पैतृक, कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि मौजा गरडिया तहसील रामसर जिला बाड़मेर में स्थित है जिसके खेत खसरा संख्या 611/164 रकबा 13.07 बीघा व खसरा संख्या 616/273 रकबा 06.17 बीघा भूमि किस्म बारानी दोयम की स्थित है जिस पर अपीलांट का पैतृक रूप से कब्जा व काश्त एवं रहवास करते आ रहे हैं। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंटस मौके पर सड़क/मार्ग निकालने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंटगण ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आराजी खसरा संख्या 611/164 ग्राम गरड़ीया तहसील रामसर शुरू में सरकारी भूमि थी, जिसमें से खसरा संख्या 161, 162 उसके आगे के खेतों के खातेदारान् आगे कटाणी मार्ग तक इसकी सीमा के लगते माठ–माठ कृषि कार्य करने के लिए खेतों में आने–जाने का मार्ग चलता आ रहा है, उक्त भूमि खसरा संख्या 611/164 को दिनांक 11.04.2013 को प्रशासन गांव के संग अभियान में आवंटन नियम से उसकी खातेदारी में दर्ज किया है, जिस पर से होकर रास्ता चलता रहा है, अभी गांव की पार्टीबाजी से, बदले की भावना से, रहमान खां, इस्लाम खां ने खसरा संख्या 611/164 में उक्त रहमान खां व इस्लाम खां ने दिनांक 16.09.2020 को जबरदस्ती रोक दिया है, तथा उक्त रास्ते पर ग्राम पंचायत ने वर्ष 2008 में मुड़िया (ग्रेवल) सड़क निर्माण करवाई थी, जिसको भी अवैध रूप से ट्रेक्टर, कराली से तोड़कर खड्डे कर दिये है, व आगे खेतों के खातेदारान् को आने–जाने नहीं देता है, इसलिए उक्त कदीमी रास्ते की सुविधा को पड़ौसी खातेदारान के लिए बहाल किया जाना आवश्यक है। पुराने मार्ग रेकर्ड में दर्ज नहीं हुए है, परन्तु आने–जाने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी पड़ौसी खातेदारान् के खेत में से मार्ग के उपयोग का अधिकारी धारा 251 में दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है जिससे अपीलांटगण के हित किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं हो रहे है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद को एडमिशन स्टेज पर ही क्रिमीनल ट्रोस्पासर (Tranch-passer) का बताकर उसी स्टेज पर खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण पर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही खारिज किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित अपीलांटगण की खातेदारी भूमि में से रेस्पोडेंटस मौके पर किसी भी प्रकार की सड़क/मार्ग निकालने का अधिकार नहीं है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलाधीन आराजी पर जबरन रास्ता निकालने पर उतारू है तथा मौके पर परिवर्तन करवाने पर उतारू है यदि उतरदातागण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो अपीलकर्ता को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर रामसर द्वारा मूल राजस्व वाद संख्या 10/2020 बअनवान रहमानखां वगै. बनाम सोबदार वगै. में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2020 को अपास्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि मौजा गरडिया तहसील रामसर के खेत खसरा संख्या 611/164 रकबा 13.07 बीघा भूमि में रेस्पोडेंटस कोई दखलंदाजी नहीं करे। अपीलाधीन आराजी में से रास्ते संबंधी यदि कोई उज्रदारी/दावेदारी रेस्पोडेंटगण करना चाहते है तो वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर पर करने हेतु स्वतंत्र है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर (seal)

यह आदेश आज दिनांक 11.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर